श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रभारी प्रधान सचिव, औरंगाबाद जिला का दिनांक 05.11.2016 को औरंगाबाद जिले का निरीक्षण टिप्पणी :–

दिनांक–05.11.2016 को औरंगाबाद जिले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के क्रम में मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं की समीक्षा की गयी, जो निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक हल, युवाओं को बल
2. लोक जनशिकायत निवारण के कियान्वयन की स्थिति
3. बाढ़/आपदा की समीक्षा

समीक्षा के क्रम में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र तथा जिला लोक जनशिकायत निवारण कार्यालय व अनुमण्डल लोक जनशिकायत निवारण कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

1. **<u>आर्थिक हल, युवाओं को बल, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का निरीक्षण</u>** :–

केन्द्र का भवन निर्माण किया जा चुका है। असैनिक कार्य मुख्यतः सम्पादित किये जा चुके है। कतिपय कार्य प्रगति में पाये गये, जैसे–मुख्य भवन के बाहर रोड निर्माण का कार्य कुछ अंश में शेष था, जो कि प्रगति में था। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि रोड का शेष कार्य 24 घण्टे में पूर्ण करा लिया जायेगा। मुख्य भवन के पूरब साईकिल स्टैण्ड का निर्माण प्रगति पर था। कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि इस कार्य को भी शीघ्र सम्पादित करा लिया जायेगा। मुख्य भवन अन्तर्गत कार्यालय क्षेत्र में स्थापित may i help you काउन्टर पर पूछ–ताछ की गयी। टोकन मशीन अवस्थापित नहीं हो सकने के कारण टोकन का आवंटन हेतु एक अन्य काउन्टर कार्यरत है। इस काउन्टर से आगन्तुक आवेदकों को टोकन मैनुअल रूप से आवंटित किया जाता है। तत्पश्चात् विभिन्न काउन्टर का निरीक्षण किया गया। इस कार्यालय हेतु कार्य बल की स्थिति निम्नानुसार बतायी गयी :–

SI	Name of the Post	Sanctioned Strenth	No. Joined
1	Manager	1	1
2	Asst. Manager (P&A)	1	1
3	Asst. Manager (Scheme)	4	4
4	It superviser	1	1
5	Sigle Window Operator	48	28
6	MPA	4	4

हालांकि 48 एकल खिड़की ऑपरेटर के विरूद्व 28 ऑपरेटर कार्यरत है, परन्तु निरीक्षण के क्रम में कार्यबल की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी।

निरीक्षण के क्रम में नेटवर्किंग की समस्याएँ दृष्टिगोचर हुई। लैण्ड से संबंधित वायरिंग की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। थ्री आई इन्फोटेक के कर्मी के द्वारा बताया गया कि Router में I/O बॉक्स में समस्या के कारण नेटवर्किंग से संबंधित कार्य में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। जिलाधिकारी को संबंधित एजेन्सी से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

काउन्टर के निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ कि आवेदकों से आवेदन एवं अन्य आवश्यक कागजात काउन्टर पर प्राप्त करते हुए स्कैन किये जाते हैं तथा उनको सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के पश्चात् संबंधित सहायक प्रबन्धक को अग्रसारित किया जाता है। काउन्टर पर ऑपरेटर द्वारा यह कार्य करते हुए सहायक प्रबन्धक को ऑनलाईन अग्रसारित किया जाता है, परन्तु संबंधित सहायक प्रबन्धक के कार्य स्थल के निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा काउन्टर से अग्रसारित आवेदन प्राप्त तो किये जाते है, परन्तु सहायक प्रबन्धक के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उदाहरणस्वरूप कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत काउन्टर पर कार्यरत ऑपरेटर द्वारा सहायक प्रबन्धक को 10 आवेदन अग्रसारित किये गये। सहायक प्रबन्धक द्वारा सत्यापन के पश्चात् श्रम विभाग को यह आवेदन अग्रसारित किये जाते हैं, परन्तु श्रम विभाग के स्थान पर दो आवेदन सॉफ्टवेयर में त्रुटि होने के कारण जिला योजना पदाधिकारी को अग्रसारित हो गये। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हुआ कि सहायक प्रबन्धक द्वारा संबंधित अभिलेख के अवलोकन हेतु Software पर "View" को Click करने पर स्वतः "Verify" दर्शाया जा रहा है। अर्थात् सहायक प्रबन्धक द्वारा संबंधित अभिलेख के सत्यापन हेतु यदि अवलोकन का प्रयास किया जाता है तो सत्यापन के पूर्व ही स्वतः सत्यापित दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार सहायक प्रबन्धक (स्वयं सहायता भत्ता) के कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में भी सॉफ्टवेयर में त्रुटि दृष्टिगोचर हुई। सहायक प्रबन्धक के स्तर पर किसी भी प्रकार की सूचना को आवश्यकतानुसार Edit करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त "Back" व "Home" का विकल्प भी Software में नहीं दिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि सहायक प्रबन्धक के स्तर से सत्यापन के पश्चात् अग्रसारण की प्रक्रिया बाधित रहने के कारण Work output शून्य है। जिलाधिकारी, औरंगाबाद को निदेश दिया गया कि संबंधित राज्यस्तरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

<u>केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में अन्य महत्वपूर्ण निदेश एवं सुझाव दिये गये, जो निम्नानुसार है</u> :–

i. केन्द्र के मुख्य भवन के बाहर Landscaping के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।
ii. निदेश दिया गया कि केन्द्र के सुगोचर स्थलों पर आवेदकों की सुविधा के उदेश्य से Flow Chart प्रदर्शित करें, ताकि आवेदकों को सम्पूर्ण प्रक्रिया की

जानकारी मिल सके तथा यह स्पष्ट हो सके कि उनके आवेदन के निष्पादन हेतु विभिन्न चरण एवं प्रक्रिया किस प्रकार निर्धारित किये गये हैं।

iii. केन्द्र भवन के मुख्य प्रतीक्षा हॉल तथा शौचालयों के निरीक्षण में पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी की आवश्यकता महसूस की गयी।

iv. यह उचित होगा कि बेल्ट्रॉन के द्वारा Networking इत्यादि की समस्याओं के समाधान हेतु प्रमण्डल स्तर पर एक नोडल समन्वय पदाधिकारी को नामित किया जाता, ताकि इस प्रकार की समस्याओं के कारण कार्य बाधित नहीं रहे।

v. यह भी सुझाव दिया गया कि आवेदक छात्र को कब आना है, इससे संबंधित Scheduling के साथ ही आवेदक को Time Slot विकल्प यदि दिया जा सके तो आवेदको को अधिक सुविधा हो सकेगी।

2. **<u>लोक जनशिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा/निरीक्षण</u>** :–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय लोकशिकायत कार्यालयों हेतु भूमि पूर्व से ही चिन्हित की जा चुकी है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर जिला लोक जनशिकायत निवारण कार्यालय हेतु सूचना भवन स्थल चिन्हित किया गया है। इस कार्य स्थल में जिला लोक जनशिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय–सह–सुनवाई कक्ष है। महिला एवं पुरूष प्रसाधन की व्यवस्था है। आवेदकों हेतु प्रतीक्षा स्थल निर्धारित है तथा आवेदन प्राप्त करने हेतु अलग से काउन्टर स्थापित किया गया है। आवेदन प्राप्ति काउन्टर पर आवेदन प्राप्त करने एवं उसकी प्रविष्टि किये जाने की प्रक्रिया से अवगत होने के क्रम में स्पष्ट हुआ कि काउन्टर पर प्रतिनियुक्त ऑपरेटर द्वारा संबंधित प्रविष्टि एवं संलग्न कागजात की स्कैनिंग की जा रही है। इस प्रकार एक आवेदन में 5–7 मिनट समय लग रहा है। यह सुझाव दिया गया कि प्रविष्टि एवं स्कैनिंग दोनों कार्यों के लिए यदि अलग–अलग ऑपरेटर रखे जाये तो यह कार्य अधिक सुगमता से किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति काउन्टर पर आवेदन का प्रपत्र एवं अपील हेतु प्रपत्र पर्याप्त संख्या में कार्यालय काउन्टर पर ही उपलब्ध है तथा आस–पास बिक्री की शिकायत नहीं है। कुर्सी/पेयजल/शौचालय (पुरूष एवं महिला), रैम्प इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है तथा आवेदक को पावती प्रदान की जा रही है।

जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस कार्यालय में भी आवेदक के आवेदन के निष्पादन के सभी चरण/प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए Flow Chart इत्यादि सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित करायेंगे। लोक जनशिकायत निवारण पदाधिकारी से पृच्छा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि जब कोई वाद अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो निम्न प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में प्राप्त सभी अभिलेख/प्रतिवेदन स्वतः अपीलीय प्राधिकार को ऑनलाईन हस्तांतरण नहीं किये जाते है, जबकि यह उचित होता कि निम्न प्राधिकार की सुनवाई का सम्पूर्ण अभिलेख ऑनलाईन अपीलीय प्राधिकार को हस्तान्तरित किया जा सके।

तत्पश्चात् अनुमण्डल लोक जनशिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस कार्यालय के भवन निर्माण हेतु सदर प्रखण्ड क्षेत्र में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। वर्तमान में यह अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर पुराने निबंधन कार्यालय में कार्यरत है। आवेदन प्राप्ति हेतु काउन्टर अलग से कार्यरत है। आवेदकों के बैठने हेतु प्रतीक्षा स्थल निर्धारित है एवं कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था है। परिवाद/अपील पत्र निःशुल्क उपलब्ध है तथा बाजार में बिकी की स्थिति नहीं है। अनुमण्डल लोक जनशिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दायर किये जाने वाले मामलों में भूमि विवाद संबंधी वाद मुख्य रूप से दायर किये जाते हैं, जिसमें अन्तिम समाधान में कठिनाई होती है। अन्य मामलों में विधिवत निष्पादन के साथ ही समाधान का प्रयास किया जाता है। पुलिस से संबंधित मामलों को पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित किया जाता है तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अनुश्रवण में सभी मामलों का ससमय समाधान कराया जा रहा है। इस कार्यालय में भी आवेदकों की सुविधा हेतु Flow Chart इत्यादि प्रदर्शित किये जाने का निदेश दिया गया।

3. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से बाढ़/आपदा संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है।

8/11/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 8172 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/11/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडलय सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/11/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8172 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/11/16

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/11/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8172 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 08/11/16

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/11/2016
प्रधान सचिव

DK

फसल क्षतिः–

ऐसे तो औरंगाबाद जिला बाढ़ प्रभावित जिला नहीं हैं परन्तु वर्ष 2016 में इस जिले में विभिन्न तिथियों को असामान्य एवं भारी वर्षा हुई जिसमें नबीनगर,बारूण,दाउदनगर एवं गोह अंचलों में धान की फसल को भारी क्षति हुई। जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

SL	NAME OF BLOCK	TOTAL AGRICULTURAL AREA AFFECTED (IN HA)	TOTAL AGRICULTURAL AREA WHERE CROP LOSS>33 %	OUT OF (4) AREA BELONGING FOR SMF				NO OF SMF FARMERS AFFECTED BY THE INSTANT				ASSISTANCE SOUGHT FOR DIFFERENT CATEGORIES OF			TOTAL ASSISTANCE SOUGHT (RS. IN LAKH)
				RAINFED	IRRIGATED	PERENNIAL	TOT	RAINFED	IRRIGATED	PERENNIAL	TOT	RAINFED (RS. X COL 5A)	IRRIGATED (RS. X COL 5B)	PERENNIAL (RS. X COL 5C)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	BARUN	255.884	71.464	8.212	63.252	0	71.464	27	158	0	185	55841	853902	0	909743
2	DAUDNAGAR	111.29	111.29	0	111.29	0	111.29	0	259	0	259	0	1502415	0	1502415
3	NABINAGAR	543	543	40	503	0	543	100	868	0	968	272000	6790500	0	7062500
4	GOH	1810	1134	0	1134	0	1134	0	1208	0	1208	0	15309000	0	15309000
TOTAL		2720.174	1859.754	48.212	1811.542	0	1859.75	127	2493	0	2620	327841	24455817	0	24783658

गृह क्षतिः–

औरंगाबाद जिला बाढ़ प्रभावित जिला नहीं होते हुए भी वर्ष 2016 में असामान्य एवं अत्यधिक वर्षा के कारण इस जिले के विभिन्न अंचलों में गृह क्षति की सूचना प्राप्त हुई हैं विशेष कर मिट्टी के बने मकानों के दिवाल गिरने की सूचना विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुई है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0	अंचल का नाम	गृह क्षति आंशिक (संख्या)		गृह क्षति पूर्ण (संख्या)		अभ्युक्ति
		कच्चा	पक्का	कच्चा	पक्का	
1	2	3	4	5	6	7
1	औरंगाबाद	10	0	0	0	
2	बारूण	15	0	0	0	
3	नबीनगर	134	0	6	0	
4	कुटुम्बा	194	0	0	0	
5	देव	172	0	4	0	
6	मदनपुर	22	0	61	0	
7	रफीगंज	563	0	0	0	
8	गोह	1262	0	82	0	
9	हसपुरा	782	0	11	0	
10	दाउदनगर	20	0	0	0	
11	ओबरा	759	0	0	0	
कुल		3933	0	164	0	

अन्य आपदा से क्षतिः—

क0	घटना प्रकार		मृतकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2		3	4
1	पानी मे डुबने से		26	
2	अग्निकाण्ड		19	
3	बज्रपात		21	
4	सड़क दुर्घटना		10	
5	दिवाल गिरना		7	
6	सॉप काटना		12	
7	ऑधी तूफान से		2	
कुल योग			97	

02-11-16

प्रभारी पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन शाखा,
औरंगाबाद।